प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 32 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 6 – 13 अगस्त 2018 मूल्य पांच रूपए

प्रदेश भाजपा में फिर शुरू हुआ अटकलों का दौर

शिमला/शैल। क्या हिमाचल भाजपा में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है? यह सवाल उठा है पार्टी के प्रदेश महासचिव राम सिंह के उस ब्यान के बाद जो उन्होने शिमला मे हुई उनकी पत्रकार वार्ता में दागा है। प्रदेश महासचिव ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को संगठन में काई बड़ी जिम्मेदारी दिये जाने की चर्चा केवल सोशल मीडिया में ही है और हकीकत में जमीनी स्तर पर कुछ नही है। महासचिव राम सिंह के इस ब्यान के बाद प्रदेश भाजपा के ही शीर्ष नेता पूर्व मुख्यमन्त्री शान्ता कुमार का ब्यान आ गया। उन्होने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि अगले लोकसभा चुनावों में भाजपा की सरकार तो बन जायेगी लेकिन निश्चित रूप से पार्टी की सीटें कम हो जायेंगी। पार्टी की सीटें कम होने का आकलन और भी कई कोनो से आ रहा है। यह सीटें कितनी कम होती है? सीटें कम होने के बाद सरकार बन पायेगी या नही। यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जब भाजपा की सीटें कम होगी तो निश्चित रूप से उसके सहयोगी दलों की भी कम होंगी। इसी आशंका के चलते एनडीए के कई सहयोगीअपनी नाराज़गी दिखाने के लिये बहाने तलाशने पर आ गये हैं। जैसा कि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति ने एनजीटी के नये अध्यक्ष जस्टिस आर्दश गोयल की नियुक्ति को ही बहाना बना लिया। चन्द्र बाबू नायडू की पार्टी तो एनडीए को छोड़कर लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक ला चुकी है। इस तरह जैसे – जैसे विपक्ष इक्ट्ठा होता जा रहा है और सरकार के खिलाफ उसकी आक्रामकता बढ़ती जा रही है उसी अनुपात में मोदी सरकार की परेशानीयां बढ़ती जा रही हैं।

इस परिदृश्य में यह स्वभाविक है कि हर प्रदेश को लेकर संघ/भाजपा के कई संगठन और सरकारी ऐजैन्सीयां तक लगातार सीटों के आकलन में लगी हुई है बल्कि इस बार के लोकसभा चुनावों में तो अमेरीका, रूस और चीन की ऐजैन्सीयां भी सक्रिय रहेंगी इसके संकेत राष्ट्रीय स्तर पर आ चुके हैं। इन बड़े मुल्कों की ऐजैन्सीयां प्रदेशों के चुनावों पर भी कई बार अपनी नजरें रखती हैं। इसका अनुभव हिमाचल के 2012 के विधानसभा चुनावों में मिल चुका है। जब अमेरीकी दूतावास के कुछ अधिकारियों ने शिमला में कुछ हिलोपा नेताओं के यहां दस्तक दी थी। इसलिये प्रदेशों को लेकर संघ/ भाजपा की सक्रियता रहना स्वभाविक है क्योंकि सीटें तो प्रदेशों से होकर ही आनी है। इसलिये हर प्रदेश की एक-एक सीट पर नजर रखना स्वभाविक है। पिछली बार हिमाचल से भाजपा को चारों सीटें मिल गयी थी। लेकिन इस बार भी चारों सीटें मिल पायेंगी इसको लेकर पार्टी नेतृत्व भी पूरी तरह आश्वस्त नही हैं। यह ठीक है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है लेकिन यह भी उतना ही सच्च है कि यदि विधानसभा चुनावों के दौरान धूमल को नेता घोषित नही किया जाता तो स्थिति कुछ और ही होती। क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान वीरभद्र के जिस भ्रष्टाचार को भुनाया गया था उस दिशा में मोदी सरकार व्यवहारिक तौर पर कोई परिणाम नही दे पायी है। बल्कि आज तो वीरभद्र के भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस की ताकत बन जाता है। आज वीरभद्र और कांग्रेस मोदी पर यह आरोप लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ जबरदस्ती मामले बनाये गये हैं। वीरभद्र और आनन्द चौहान ने जब दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जज के खिलाफ यह शिकायत की थी कि उन्हे इस अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद नही है तभी उन्होने इस बारे में अपनी मंशा सार्वजनिक कर दी थी। इस शिकायत के बाद भी ईडी वीरभद्र की गिरफ्तारी नही कर पाया था जबकि इस मामले में सहअभियुक्त बनाये गये आनन्द चाहौन और वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर की गिरफ्तारी हुई। आज मोदी सरकार और उसकी ऐजैन्सीयों के पास इसका कोई जवाब नही है। इसलिये आने वाले लोकसभा चुनावों में प्रदेश में जयराम सरकार वीरभद्र और उसकी सरकार के भ्रष्टाचार को कोई मुद्दा नही बना पायेंगे क्योंकि आठ माह के कार्याकाल में एक भी मुद्दे पर कोई मामला दर्ज नही हो पाया है।

हिमाचल में लोकसभा का यह चुनाव मोदी और जयराम सरकार की उपलब्धियों पर लड़ा जायेगा मोदी सरकार की उपलब्धियों का ताजा प्रमाण पत्र अभी दिल्ली में रॅफाल सौदे पर हुई यशवन्त सिन्हा, अरूण शौरी और प्रंशात भूषण की संयुक्त पत्रकारा वार्ता है। इस वार्ता के बाद आया शान्ता कुमार का ब्यान भी उपलब्धियों का प्रमाण पत्र बन जाता है। मोदी सरकार से हटकर जब जयराम सरकार पर चर्चा आती है तो इस सरकार के नाम पर भी सबसे बड़ी उपलब्धि हजारो करोड़ के कर्जो का जुगाड़ है। लेकिन इन कर्जो से हटकर प्रदेश स्तर पर राजस्व के नये स्त्रोत पैदा करने और फिजूल खर्ची रोकने को लेकर कोई कदम नही उठाये गये हैं। बल्कि उल्टे सेवानिवृत से चार दिन पहले तक सारे नियमों/ कानूनो को अंगूठा दिखाकर एक बड़े बाबू को स्टडीलीव ग्रांट करना है। यही नही एक और बड़े बाबू के मकान की रिपेयर हो रहा आधे करोड़ से ज्यादा का खर्चा भी सचिवालय के गलियारों में चर्चा का केन्द्र बना हुआ है। क्योंकि दो मकानों का एक मकान बनाया जा रहा है। अदालतों में सरकार की साख कितनी बढ़ती जा रही है यह भी सबके सामने आ चुका है। इस वस्तुस्थिति में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि संघ/भाजपा प्रदेश की इस स्थिति का आकलन कैसे करती है। यह भी सबको पता है कि विधानसभा चुनावों से पूर्व नड्डा नेतृत्व की रेस में सबसे आगे थे। उनके समर्थकों ने तो जश्न तक मना लिये थे। लेकिन उस दौरान भी जब संघ के आंकलन में स्थिति संतोशजनक नही आयी तब धूमल को ही नेता घोषित करना पड़ा। जब धूमल हार गये तब भी विधायकों का एक बड़ा वर्ग उनको नेता बनाये जाने की मांग कर रहा था। लेकिन धूमल, नड्डा के स्थान पर जयराम को यह जिम्मेदारी मिल गयी।परन्तु इन आठ महीनों में ही चर्चा यहां तक पंहुच गयी है कि कुछ अधिकारी और अन्य लोग ही सरकार पर हावि हो गये हैं। आठ माह में पार्टी कार्यकर्ताओं कोजो ताजपोशीयां मिलनी थी वह संभावित सूचियों के वायरल करवाये जाने की रणनीति से टलती जा रही हैं। कार्यकर्ताओं में रोष की स्थिति आ गयी है। सत्रों की माने तो मोदी – अमितशाह ने इस वस्तुस्थिति का संज्ञान लेते हुए धूमल को दिल्ली बुलाया था। लेकिन जैसे ही धूमल का मोदी – शाह को मिलने बाहर आया तभी प्रदेश में महासचिव के माध्यम से यह चर्चा उठा दी गयी कि धूमल को कोई बड़ी जिम्मेदारी नही दी जा रही है। लेकिन धूमल की इस मुलाकात के बाद जयराम भी दिल्ली गये। वहीं पर हिमाचल सदन में शान्ता और जयराम में एक लम्बी मंत्रणा हुई। इस मन्त्रणा से पहले शान्ता कुमार का ब्यान भी आ चुका था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यदि हिमाचल से सीटों को लेकर हाईकमान आश्वस्त नही हो पाता है तो प्रदेश में कुछ भी घट सकता है। क्योंकि यह भी चर्चा है कि इन दिनों केन्द्र की ऐजैन्सीयों ने धूमल – एचपीसीए के खिलाफ चल रहे मामलों के दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिये हैं। वैसे इन मामलों को वापिस लेने के लिये राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कदम भी नही उठाये गये हैं और संभवम: हाईकमान ने इस स्थिति का भी संज्ञान लिया है। यही नही राजीव बिन्दल का मामला वापिस लेने में भी सरकार की नीयत और निति सपष्ट नही रही है। इसी 8 माह के अल्प कार्यकाल में ही कई आरोपी पत्र और एक मन्त्री के डीओ लेटर तक वायरल हो गये हैं। यह सारी स्थितियां किसी भी हाईकमान के लिये निश्चित रूप से ही चिन्ता का विषय रहेंगी। माना जा रहा है कि इन्ही कारणों से अमितशाह का दौरा एक बार फिर रद्द हो गया है।

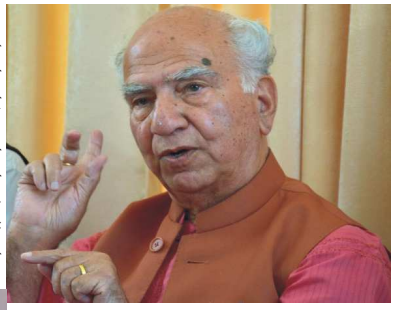

अमितशाह का दौरा फिर हुआ रद्द

किसान और कृषि वैज्ञानिक खुले मन से अपनाएं प्राकृतिक खेती: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसान समुदाय तथा कृषि वैज्ञानिकों को अपनी सोच में बदलाव लाकर खुले मन से शून्य लागत प्राकृतिक

खेती के आदर्श को अपनाने का आग्रह किया, जो रासायनिक खेती की मौजूदा प्रणाली को बदलने में मददगार होगा।

राज्यपाल पीटरहॉफ में कृषि विभाग द्वारा शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। सम्मेलन में कृषि विभाग के 430 से अधिक अधिकारियों तथा सभी जिलों के किसानों ने भाग लिया।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि उन्होंने हाल ही में नीति आयोग के साथ बैठक की थी और यह संतोष का विषय है कि उन्होंने स्वीकार किया कि केवल शून्य लागत प्राकृतिक खेती ही किसानों की आय को दोगुना कर सकती है और इसके बिना हम अपने किसान समुदाय को बचाने के बारे में नहीं सोच सकते। उन्होंने राज्य में प्राकृतिक खेती को लागू करने की पहल तथा पहले ही वर्ष में 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की सोच तथा दृढ़ निश्चिय की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वास्तविकता को स्वीकार किया है और राज्य में प्राकृतिक कृषि की क्रियान्वयन में हर सम्भव सहायता प्रदान करने में रूची दिखाई है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों की आय को दोगुना करने के लिए देश में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे वैज्ञानिक जो रसायनिक खेती की सिफारिश करते हैं, वे इस दिशा में समाधान प्रदान करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि आन्ध्र प्रदेश तथा हमारे गुरूकुल के लाखों किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद आश्चर्यजनक वृद्धि और तीन गुणा आय दर्शाई है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव का एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने इस म डल को ईमानदारी से अपनाया है। राज्यपाल ने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती किसानों को सुरक्षित करने तथा उनकी आय को दोगुना करने का एकमात्र समाधान है। इस प्रणाली के अन्तर्गत किसानों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, बल्कि बंजर भूमि के पुनरूत्थान, पानी का न्यूनतम उपयोग, स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित उत्पादन, पर्यावरण के लिए सुरक्षित इत्यादि अनेक लाभ हैं। उन्होंने प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए किसानों से भारतीय नस्ल की गाय पालने का आग्रह किया।

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित 'हिमाचल प्रदेश विजन-2022' का विमोचन किया।

इस अवसर पर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों को खुशहाल बनाने की क्षमता रखती है और राज्य सरकार इसे बढ़ावा देने के लिये हर संभव समर्थन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और खेती-बाड़ी उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय से किसानों ने अपने फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक तरीके और तकनीकें अपनाई हैं, लेकिन उत्पादन बढ़ाने की इस आकांक्षा के चलते किसानों ने रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि रसायनों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता समाप्त होने के कारण भूमि बंजर हो गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब प्राकृतिक खेती को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करना चाहती है और राज्य में शून्य लागत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश का प्राकृतिक कृषि राज्य बनाने के लिए साझे प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती न केवल लोगों को स्वस्थ भोजन और फल सुनिश्चित करेगी, बल्कि किसानों की आर्थिकी को भी मजबूत करेगी। उन्होंने प्रभावी शून्य लागत प्राकृतिक खेती सुनिश्चित करने के लिए देसी नस्ल की गायों के प्रोत्साहन पर बल दिया।

पदमश्री डॉ. सुभाष पालेकर, जो शून्य लागत प्राकृतिक खेती के जन्मदाता है, ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसान समुदाय तथा बड़ी संख्या में लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य में प्राकृतिक कृषि को क्रियान्वित करने के लिए सही समय में सही फैसला लिया है। उन्होंने इस दिशा में अपना सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया और कहा कि पशुपालन, बागवानी जैसे अन्य सम्बद्ध विभागों को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। उन्होंने शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर चर्चा की और कहा कि रसायनिक कृषि महज़ एक तकनीक है, न कि प्राकृतिक प्रक्रिया, जबकि प्राकृतिक खेती एक विज्ञान है और इसे किसी बाह्य समर्थन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता है तो केवल इसे अपनाने की।

कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकण्डा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में कृषि गतिविधियों में विविधता लाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और बहुत से किसान इसे अपना रहे हैं।

राज्यपाल के लिए नहीं होगा महामहिम शब्द का उपयोग

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत के आदेशानुसार राज्यपाल को संबोधित करते समय अभिवादन के रूप में ''महामहिम'' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह जानकारी राज्यपाल के सचिव डॉ. अरूण शर्मा ने दी।

उन्होंने कहा कि औपचारिक अवसरों के दौरान 'His Excellency' और उसके हिन्दी पर्याय 'महामहिम' शब्द के उपयोग को समाप्त किया जाए तथा उनके स्थान पर ''राज्यपाल महोदय'' शब्दों का उपयोग किया जाएगा और हिन्दी में सरकारी टिप्पणियों में ''राज्यपाल जी'' का उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में राजभवन द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

पंचायती राज संस्थाओं को 14वें वित्तायोग के तहत 181 करोड़ की राशि जारी

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज संस्थानों के लिए 14वें वित्तायोग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 181 करोड़ रुपये की राशि प्रथम किश्त के रूप में जारी कर दी गई है।

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा शीघ्र ही इस राशि को प्रदेश की समस्त 3226 ग्राम पंचायतों को जारी किया जाएगा। पंचायतों को यह राशि 90 प्रतिशत आबादी के हिसाब से तथा 10 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर आवंटित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस राशि के उपयोग के बाद भारत सरकार द्वारा इतनी ही राशि दूसरी किश्त के रूप में प्रदेश सरकार को प्रदान की जाएगी, अर्थात इस वित्तीय वर्ष में कुल 362.00 करोड़ रुपये की राशि पंचायतों को 14वें वित्तायोग के तहत प्रदान की जाएगी।

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि भारत सरकार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि ग्राम पंचायत के जिस बैंक खाते में यह राशि प्रदान की जाएगी, वह खाता पब्लिक फंड मेनेजमैंट सिस्टम (पीएफएमएस) के तहत पंजीकृत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों को अपने-अपने बैंक खातों को पीएफएमएस में पंजीकृत करने हेतु विभाग द्वारा पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं और अब तक 2550 ग्राम पंचायतों ने अपने-अपने खातों को पीएफएमएस में पंजीकृत कर दिया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने शेष ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सचिवों को यह निर्देश दिए है कि वे तुरन्त अपने बैंक खातों को तीन दिनों के भीतर पीएफएमएस में पंजीकृत करवाएं अन्यथा इन पंचायतों को धनराशि जारी नहीं की जाएगी।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDERS

The Executive Engineer, Karchham Division, H.P.P.W.D. Bhabanagar District Kinnaur Pin-172115 invite Item rate tenders in sealed cover on the prescribed forms from the eligible Contractors on 05.09.2018 and shall be opened on the same day at 11:00 Hrs. in the presence of intending contractors or their authorized representatives who wish to be present at the time.

Work No. (1) C/O link road to village Themgarang km 0/0 to 1/0 (SH:- P/L stone soling and C.C pavement in km 0/400 to 0/600) (Under Rurban Mission) Estimated cost. Rs 3,18,765/- Earnest Money Rs 6,400/- Time limit Two months Cost of form Rs. 350/-

Work No. (2) R/R damages on Wangtoo Kafnoo road km 0/0 to 20/0 (SH:- C/O R/R masonry R/wall at RD 17/560 to 17/620) Estimated cost. Rs 1,84,770/- Earnest Money Rs 3,700/- Time limit Two months Cost of form Rs. 350/-

TERMS AND CONDITIONS:-

The Earnest Money shown against each work must accompany with each tender in the shape of National Saving Certificate/Time Deposit Account/Post Office Saving Bank Account of any of the Post Offices duly pledged in the name of undersigned. The application of each tender alongwith following documents must reach in this office on 04.09.2018 upto 12:00 PM and issued on same day.

(i) Each application alongwith attested copy of the proof of enlistment in the appropriate Class and its renewal.
(ii) Permanent Account Number (PAN)
(iii) Labour Registration Certificate and EPF No/GST.
(iv) Affidavit /undertaking work in hand.
(v) Exemption Letter for payment of earnest money from competent authority if any.

The contractor enlisted in a particulars class shall be eligible to tender for his own class and one step below. The tender rates must be quoted in words and figures by the tenderer. The conditional tenders or the tenders without earnest money shall be rejected. The Executive Engineer reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason. In case there happens to be a holiday on the date of opening of the tenders the same shall be opened on the next working day. The offer of the tender shall remain valid upto 90days from the opening of the tenders.

Adv. No.-1901/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
भेपेश
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
'e-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HPPWD Division Sunder Nagar on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.

Sr.No.	Nameof work	Estimated Cost (In Rs.)	Earnest Money	Eligible Class of Contractor	Cost of tender form	Time Limit
1.	Construction of Community Hall at Dhawal in Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (HP) (SH: C/o building portion with WS&SI and septic tank).	17,13,644/- `	33,500/-	C & D	` 500/-	Nine Months
2.	Construction of Community Hall at Ahan in Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (HP) (SH: C/o building portion with WS&SI and septic tank)."	17,13,644/-`	33,500/-	C & D	` 500/-	Nine Months
3.	Construction of Veterinary Dispensary building at Dhawal in Tehsil Sundernagar Distt. Mandi (HP)(SH: C/o building portion with WS&SI and Septic tank).	7,03,432/- `	14,500/-	C&D `	350/-	Six Months

2. Availability of Bid Document and mode of submission: The Bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website *https://hptenders.gov.in*. Bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: *https://hptenders.gov.in*. Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender

3. Key Dates:

1. Date of Online Publication	20.08.2018	10:00 HRS
2. Document Download Start and End Date	20.08.2018 04.09.2018	11:00 HRS upto 17:00 HRS
3. Bid Submission Start and End Date	20.08.2018 upto 04.09.2018	11:30 HRS 17:00 HRS
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document	05.09.2018	up to 10:30 HRS
5. Date of Technical Bid opening, Evaluation of Technical Bid followed by Opening of Financial Bid.	05.09.2018	11.00 HRS

4. TENDER DETAILS:

The Tender Documents shall be uploaded online in 2 Cover:
i) Cover 1: shall contain scanned copies of all "Technical Documents/ Eligibility Information".
ii) Cover2: shall contain "BOQ/Financial Bid", where contractor will quote his offer for each item.

5. **SUBMISSION OF ORIGINAL DOCUMENTS:** The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in O/o Executive Engineer HPPWD Division Sunder Nagar as specified in Key dates Sr. No. 4 on Tender Opening Date, failing which the bids will be declared non-responsive.

6. BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on 05.09.2018 at 11:00 HRS in the office of Executive Engineer, B&R Division, HPPWD Sunder Nagar by the authorised officer. In their interest, the tenderers are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 120 days after the deadline date for bid submission.

8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received

Adv. No.-1891/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

प्रदेश में गिरे पड़े, सूखे पेड़ों के लिए आई नई नीति

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के जंगलों में ऐसे गिरे पड़े, और सूखे पेड़ों (साल्वेज टिम्बर) के लिए एक नई नीति तैयार की है। नीति बनने पर अब इन पेड़ों से न केवल इमारती तथा ईन्धन की लकड़ी निकलेगी, बल्कि इससे सरकार की आय भी बढ़ेगी। जबकि इससे पूर्व गिरे – पड़े पेड़ों को गैर किफायती घोषित

कर नज़र अन्दाज कर दिया जाता रहा है। वन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय और नीति से न केवल वन विभाग को विभागीय कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए निशुल्क लकड़ी उपलब्ध होगी, बल्कि वन निगम से बड़ी राशि की मांग करने वाले ठेकेदारों की मनमानी पर भी रोक लगेगी। इससे पूर्व ठेकेदार पेड़ों से लकड़ी निकालने के लिए वन निगम से मनमाने दाम का दबाव डालते थे और मजबूरन निगम को यह बड़ी राशि अदा कर घाटा झेलना पड़ता था या फिर उन पेड़ों को गैर – किफायती घोषित कर दिया जाता था।

वन मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश में यह पहल की गई है। इसके लिये विभिन्न स्तरों पर सुझाव आमंत्रित किए गए थे। नीति के अन्तर्गत गैर – किफायती (अन – इकोनोमिकल) टिम्बर का इस्तेमाल अब विभिन्न सरकारी विभागों, मसलन लोक निर्माण, सिचाई एवं जन स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वन और वन निगम आदि द्वारा बनाए जा रहे सरकारी भवनों, वन विभाग और निगम की कार्यशालाओं में फर्नीचर बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। जंगलों में इन पेड़ों के स्थान पर नई पौध भी तैयार हो सकेगी, जिससे न केवल प्रदेश के जंगलों में हरियाली बढ़ेगी बल्कि जंगल और समृद्ध होंगे।

नई नीति के बनने से वन निगम में भर्ती किये गए 81 चिरानी – दुलानियों से भी उपयुक्त काम लिया जा सकेगा। पूर्व में चिरानियों – दुलानियों की भर्ती तो कर दी थी, लेकिन उनसे सम्बद्ध काम नही लिया गया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के जंगलों में सड़ रहे उन खराब या गिरे पड़े पेड़ों (साल्वेज टिम्बर) की तरफ ध्यान दिया है, जिसे अब तक गैर – किफायती समझ कर जंगलों में ही छोड़ दिया जाता था। वन निगम अब तक ऐसे पेड़ों को, अन – इकोनोमिकल घोषित कर देता था और घाटा होने के डर से इस्तेमाल नही करता था। ऐसे में यह पेड़ गलने – सड़ने के कारण न केवल नए पौधों की पैदावार को कम करते थे, बल्कि स्पष्ट नीति न होने के कारण बेशकीमती लकड़ी जंगलों में ही सड़ जाती थी। इसी के मद्देनज़र राज्य सरकार ने 27 जुलाई 2018 को एक अहम अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि गैर – किफायती समझे जाने वाले हज़ारों पेड़ों को अब नज़रंदाज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि इससे प्राप्त होने वाली लकड़ी का दोहन अब न केवल टीडी के तहत किया जाएगा बल्कि सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए भी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जो लोग हिमाचल के जंगलों में अकारण लगने वाली आग को बुझाने में स्वयसेवी के रूप में अहम योगदान देंगे, उन्हें विभाग प्राथमिकता के आधार पर इन पेड़ों से बढ़िया लकड़ी निकाल कर टी डी के तहत देगा। इसके अतिरिक्त नई नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश वन विभाग भी इसका इस्तेमाल वन विश्राम गृहों, निरीक्षण गृहों, ट्रांज़िट आवासों, वन प्रशिक्षण केन्द्रों, सामुदायिक भवनों, सम्वाद केन्दों, चिड़ियाघरों आदि में इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रदेश में इको टूरिज़्म के संवर्धन और जंगलों में विभिन्न ट्रैकों पर लगाए जाने वाले लकड़ी के छोटे पुलों के लिए भी साल्वेज लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

वन विभाग और वन निगम की कार्यशालाएं भी अब इस साल्वेज टिम्बर का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए कर सकेंगी इसके लिए वर्कशॉप को मात्र 25 रुपये रायल्टी ही वन विभाग को देनी होगी। लकड़ी की चिराई का खर्चा वन विभाग और वन निगम स्वयं वहन करेंगे। यही नहीं राज्य के सरकारी विभागों में होने वाले विकासात्मक कार्यों मसलन नए भवनों के निर्माण, मुरम्मत आदि के लिए अब इसी नीति के तहत किफायती दरों पर लकड़ी प्रदान की जाएगी। पेड़ों से लकड़ी निकालने अर्थात चिराई पर आने वाला व्यय ही सम्बधित विभाग को अदा करना पडेगा, जबकि वन निगम इस लकड़ी के लिए कोई शुल्क नही लेगा।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना ऐतिहासिक कदम:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने संसद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए विधेयक पारित करने को एक ऐतिहासिक कदम बताया है, जो देश में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगा।

विधेयक की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के समकक्ष लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक ने अन्य पिछड़ा वर्ग की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार समाज के कमज़ोर तथा अतिसवेदनशील वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक सांविधिक संस्था का सृजन वर्ष 1993 में किया गया था जिसे अन्य पिछड़ा आयोग की केन्द्रीय सूची में समुदाय के सरकारी समावेश अथवा वहिष्कार की सिफारिश करने जैसी सीमित शक्तियां दी गई थी।

उन्होंने कहा कि विधेयक पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके विरूद्ध अत्याचारों से लड़ने तथा उन्हें त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को न्याय प्रदान करेगा, जो समय की आवश्यकता है।

लोकसभा चुनावों के लिये अमित शाह से गुर लेंगे सोशल मीडिया वॉलंटियर

शिमला/शैल। भाजपा संगठनात्मक जिला मंडी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के 16 अगस्त को पीटरहाफ शिमला में होने वाली सोशल मीडिया वालंटियर मीट में 100 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। यह जानकारी जिला संयोजक आई.टी. सेल राजकुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनावों में सोशल मीडिया का विशेष रोल रहेगा इसलिए सोशल मीडिया के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह देश भर में सभी प्रदेशों में अपने प्रवास के दौरान सोशल मीडिया वालंटियर से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रवास के दौरान अमित शाह हिमाचल के सोशल मीडिया वालंटियर से भी विशेष गुर देंगे ताकि प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा को विजय दिलाने में यह सभी वालंटियर्स साइबर युद्ध के रूप में पार्टी का व्यापक प्रचार – प्रसार कर सकें और जनता तक पार्टी का संदेश केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी पूरी दृढ़ता के साथ रख सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए अगर कोई कार्यकर्ता के अलावा सोशल मीडिया में भाजपा के लिए काम कर रहा है अगर वह वालंटियर मीट में जाने का इच्छुक है तो वह अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द 12 तारीख तक करवा लें जिसको भी रजिस्ट्रेशन से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो वह 9816689550 पर सम्पर्क कर सकते हैं। जिला आई. टी. विभाग सह संयोजक राजीव सूद और सूरज प्रकाश ने बताया कि 11 अगस्त को 2 बजे सर्किट हाऊस मंडी में जिला मंडी व सुंदरनगर संगठनात्मक जिला की बैठक होगी जिसमें प्रदेश स्तर से पदाधिकारी आएंगे और सोशल मीडिया से संबंधित जानकारी कार्यकर्ताओं व वालंटियर को देंगे।

राज्य में नारकोटिक्स कानून को और सख्त बनाया जाएगा:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी व प्रयोग पर अकुंश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्देश दिए है कि राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ – साथ लोगों विषेशकर स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे जागरूक करने के लिए कदम उठाए जाएं। इसी कड़ी में मुख्य सचिव विनीत चौधरी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई।

मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नशाखोरी पर लगाम लाने के लिए विभिन्न विभाग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे ताकि इस बुराई से सख्ती से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग बच्चों को नशे की बुरी आदत के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएगी, जिसके तहत अध्यापकों को डाइट व एसइआरटी में प्रशिक्षण देकर नशाखोरी के प्रति संवेदनशील व जागरूक किया जाएगा ताकि वे स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस बुरी आदत से जागरूक कर सकें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में नशे की बुरी आदत के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए भाषण प्रतियोगिताएं, वाद – विवाद प्रतियोगिताओं के अलावा चित्रकला इत्यादि की प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त आगामी वर्षों में इसे स्कूली पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि **'अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती'** योजना के अन्तर्गत नशा निवारण जागरूकता को भी शामिल किया जाएगा। निकट भविष्य में प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रात: सभा में बच्चों को 10 नशा निवारण से सम्बन्धित 10 सूत्रीय शपथ भी दिलाई जाएगी तथा बच्चों को नशे की बुरी आदत के प्रति जागरूक करने के लिए वार्षिक कलैण्डर तैयार किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत पाठशालाओं में प्रत्येक माह में नशा निवारण से सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज व वन विभाग के सहयोग से भांग उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी विभागों के अलावा महिला मण्डलों, युवक मण्डलों व स्वयसेवी संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा। व्यापक स्तर पर चलने वाले इस अभियान के दौरान राज्य की निजी तथा सरकारी भूमि पर पाई जाने वाली भांग को उखाड़कर नष्ट किया जाएगा। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को भांग के स्थान पर अन्य वैकल्पिक खेती की सम्भावनाओं को तलाशने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को नशा उन्मूलन केन्द्र स्थापित करने के लिए कदम उठाने को भी कहा। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में नारकोटिक्स कानून को और सख्त बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नशे की तस्करी पर नजर रखने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, जम्मू – कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के उच्च अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी तथा मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त टास्कफोर्स बनाई जाएगी और नशे के दुष्प्रभावों के बारे जानकारी प्राप्त करने के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन 104 को और सुदृढ़ किया जाएगा।

पिछली सरकार में हुआ 2.40करोड़ का घपला मण्डी समिति अध्यक्ष नरेश शर्मा

शिमला/शैल। मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर किसानों व बागवानों से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स/शुल्क नही वसूलती है। मण्डी समिति द्वारा जो व्यापारी अवैध व्यापार करते हैं उनसे कंपाउंड शुल्क व व्यापारी मण्डी शुल्क की चोरी न कर सके इसलिये प्रदेश सरकार की व विपणन बोर्ड की पूर्व अनुमति के बाद नाका चौकी पर व्यापारियों की गाड़ियों को चैक करती है और व्यापारी मण्डी शुल्क की चोरी करते पकड़ गये तो ही हि.प्र. कृषि औधीविकीय अधिनियम – 2005 के अनुसार जुर्माना करती है। किसानों एवं बागवानों से फलों और सब्जियों पर कोई शुल्क नही लिया जा है यह एक भ्रम/झूठा प्रचार है। गत वर्ष विपणन बोर्ड द्वारा नाका चौकियां बंद नही की गई थी परन्तु सरकार ने इसे परवाणु के लिये स्थानान्तरित कर दिया था जिससे मण्डी समिति शिमला को लगभग 2,40,63,016 का नुकसान हुआ इसलिये मण्डी समिति शिमला एंव किन्नौर ने सरकार से नाका चौकी वापिस शोधी और नेरी पुल लगाने का आग्रह किया था जो कि 28.07.2018 को बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद शोधी व नेरीपुल में लगा दिये गये हैं। अगर किसी बागवान से कहीं पर भी कोई शुल्क वसूली करता है तो इसकी सूचना मण्डी समिति को दे। हम उसके ऊपर कार्यवाही करेगे यह बात मण्डी समिति अध्यक्ष नरेश शर्मा ने कही।

उन्होने कहा कि कुछ व्यापारी किसानों व बागवानों के नाम पर करोड़ो रूपये के मण्डी शुल्क/राजस्व की चोरी करते हैं जिसका प्रमाण है कि गतवर्ष शोधी व नेरीपुल से नाका चौकियों का परवाणु के चक्की मोड़ को शिफ्ट करने से शिमला मण्डी समिति को 2,40,63,016/ रू. का नुकसान हुआ और वहीं दूसरी ओर परवाणु चैकपोस्ट नाका चौकी पर यह बढ़नी चाहिये थी लेकिन वर्ष 2017 – 18 में वहां पर महज 42,43082/ रू0 का ही आय बड़ी जिससे कहीं न कहीं पर 2,40,63,16 रू के मण्डी शुल्क कम्पाउंड शुल्क की चोरी हुई है। मण्डी समिति अध्यक्ष नरेश शर्मा कहा कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है और हम सरकार से इसकी जांच का आग्रह करते हैं। उन्होने कहा कि बहुत से व्यापारी जो मार्केट शुल्क और कर चोरी कर रहे हैं इन नाकों के दुबारा शुरू होने से इसमें भी कमी आयेगी। उन्होने कहा कि मण्डी समिति किसी भी कीमत पर किसानो एंव बागवानों के नाम पर मण्डी शुल्क चोरी करने वाले व्यापारियों को नही बख्शेगी। इसलिये किसानो एवं बागवानों से किसान हित में निवदेन है कि अपने बागवान होने के दस्तावेज जिसमें पटवारी का कृषक प्रमाणपत्र, प्रधान का कृषक प्रमाणपत्र, जामबन्दी की नकल, किसान क्रेडिट कार्ड, उद्यान कार्ड में से कोई दस्तावेज अपने पास रखें।

शिकारपरस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

संपर्क से समर्थन-कुछ सवाल

भाजपा ने अगले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ''संपर्क से समर्थन'' का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत भाजपा पार्टी और सरकार के प्रमुख लोग समाज के विभिन्न वर्गो के प्रबुद्ध लोगो से व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क स्थापित करके उनसे समर्थन मांग रहे हैं। यह समर्थन मांगते हुए इन लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकरी दी जा रही है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी 109 योजनाओं की एक सूची सोशल मीडिया के माध्यम से भी सामने आयी है। इस सूची में पहली योजना प्रधानमन्त्री जन-धन योजना और अन्तिम योजना चप्पल पहनने वाला आम नागरिक भी हवाई जहाज में सफर कर सके इसके लिये 900 नये हवाई जहाज का आर्डर दे दिया गया है। सरकार की इन योजनाओं से आम आदमी को व्यवहारिक तौर पर कितना लाभ पंहुचा है इसका कोई आंकलन अभी तक सामने नही आया है। न ही यह सामने आया है कि यदि यह योजनाएं न लायी जाती तो समाज का कितना नुकसान हो जाता। क्योंकि किसी भी योजना का मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या सही में ही इस योजना की आवश्यकता थी भी या इसे केवल अपना प्रचार करने के लिये ही लाया गया है। क्योकि बेरोजगारी, मंहगाई और भ्रष्टाचार की जो हकीकत 2014 के चुनावों से पहले थी वह आज भी है इसलिये इन योजनाओं का होना और न होना ज्यादा मायने नही रखता है।

बल्कि प्रधानमन्त्री जन-धन योजना के तहत जो गरीब लोगों के बैंको में खाते खुलावाये गये थे उस समय इनमें जीरो बैलेन्स का दावा किया गया था। लेकिन आगे चलकर इसमें न्यूनतम बैलेन्स की शर्त जोड़ दी गयी। न्यूनतम बैलेन्स न रहने पर इसमें जुर्माना लगाये जाने की बात कर दी गयी। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले महीनों में यह न्यूनतम बैलेन्स न रहने पर 235.06 करोड़ रूपये का जुर्माना इन खाताधारकों से वसूल किया है। जो लोग न्यूनतम बैलेन्स भी नही रख पाये हैं वह सही में ही गरीब मेहनतकश लोग हैं। जिनके पास यह न्यूनतम राशी भी नही थी। न्यूनतम बैलेन्स गरीब की समस्या है अमीर की तो अधिकतम बैलेन्स की होती है। ऐसे में जिन करोड़ों लोगों पर यह जुर्माना लगा होगा क्या उन्हें सही में इस योजना का लाभार्थी माना जा सकता है। फिर यह आंकड़ा तो अकेले एसबीआइ का ही है और यही स्थिति अन्य बैंकों की भी होगी। ऐसे में यदि प्रधानमन्त्री जन-धन योजना के तहत यह खाते न खुलवाये जाते तो इन गरीबों का यह करोड़ों रूपया बच जाता।

इसी तरह अब राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मन्त्री ने एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है कि पिछले तीन वित्तिय वर्षो में बैंको का धोखधड़ी के कारण 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 2015-16 में 16409, करोड़ 2016-17 में 16652 करोड़ और 2017-18 में 36694 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह नुकसान इन बैंको द्वारा अंधाधुंध एडवांस देने के कारण हुआ है। 2008 में यह एडवांस 25.03 लाख करोड़ था जो कि 2014 में 68.75 लाख करोड़ तक पंहुच गया। यह एडवांस आज Bad loan बन गया है। लेकिन इसके लिये बैंक प्रबन्धनों के खिलाफ कारवाई की बजाय इन बैंकों की सहायता के लिये ARC कंपनी बनाई जा रही है। यह asset reconstruction company, Bad bank तैयार किया जा रहा है। क्योंकि इन बैंकों का एनपीए जो 2013 में 88500 लाख करोड़ था आज 31 मार्च 2017 को यह 8.41 लाख करोड़ को पहुंच गया है। सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई ठोस कदम नही उठा रही है। क्योंकि यह एनपीए और धोखाधड़ी सब बड़े लोगों के ही काम हैं। अदानी जैसे उद्योगपति ने कैसे एक सम्प्रेषण नेटवर्क विकसित करने के ठेके में ही 1500 करोड़ की काली कमाई कर ली। इसको लेकर राजस्व निदेशक ने 97 पेज की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी। यह रिपोर्ट 15 अगस्त 2017 के गार्डियन अखबार ने पूरे विस्तार के साथ छापी है। लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट पर आज तक कोई कारवाई नही की है। अडानी जैसे दर्जनों और मामले हैं जिनके कारण देश की पूरी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पंहुचा है। लेकिन मोदी सरकार इन लोगों के खिलाफ कारवाई करने की बजाये जन-धन में न्यूनतम बैलेन्स न रहने पर जुर्माना लगाकर फिर गरीब की कीमत पर अमीर के साथ खड़ी हो रही है।

आज जब सत्तारूढ़ दल प्रबुद्ध लोगों से संपर्क साध कर उनसे समर्थन मांग रहा है तब यह आवश्यक हो जाता है कि यह कुछ सवाल इन लोगों के सामने रहे हैं। ताकि जब यह अपने समर्थन का वायदा करें तक इन मुद्दो को भी अपने जहन में रखें। क्योंकि यह चुनाव देश के भविष्य के लिये एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है। 2014 के चुनाव में देश ने देखा है कि भाजपा ने एक भी मुस्लिम को लोकसभा का उम्मीदवार नही बनाया था। आज तो स्थिति चुनाव टिकट न देने से आगे निकलकर भीड़ हिंसा तक पंहुच गयी है। जहां इस भीड़ हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तक ने चिन्ता जताई है वहीं पर एक वर्ग अपरोक्ष में इसकी वकालत भी कर रहा है। इसलिये प्रबुद्ध वर्ग से यह आग्रह रहेगा कि वह इन व्यवहारिक सच्चाईयों पर आंख मूंद कर ही अपना फैसला न ले।

पत्थर पूजते थे,पत्थर ही पूजो, अपने वतन में इंसान पूजने का रिवाज़ नही

– कुलदीप शर्मा –

पिछले दिनों बचत भवन ऊना में अभिव्यक्ति व भाषा एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से ख्यातिप्राप्त शायर जाहिद अबरोल की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 'ख्वाबों के पेड़ तले' का विमोचन कार्यक्रम के मुख्यातिथि एवं विश्वप्रसिद्ध शायर जनाब प्रेम कुमार नज़र द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयोजन की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध पंजाबी कवि स. निर्मल अर्पण ने की। विशिष्टातिथि एस के पराशर सहायक आयुक्त ऊना, हरियाणा उर्दू अकेडमी के शम्स तबरेज़ी व हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि दीनू कश्यप थे। मंच संचालन हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुलदीप शर्मा ने किया। माँ सरस्वती कि प्रतिमा के आगे ज्योति प्रज्वल्लित करके मुख्यातिथि ने फूल माला अर्पित की। कार्यक्रम के आरंभ में होशियारपुर से पधारे डॉ धर्मपाल साहिल व कुलदीप शर्मा ने पुस्तक की समीक्षा में अपने अपने पत्र पढ़े। पत्र वाचन के बाद चर्चा में भाग लेने वाले लोगों ने पत्रों को सम्यक समीक्षा का उदाहरण बताते हुए जनाब जाहिद अबरोल को एक उम्दा संकलन के लिए बधाई दी। चर्चा में प्रसिद्ध उपन्यासकार पल्लवी प्रसाद ने नज्मों को सामयिक और प्रासंगिक बताते हुए कहा कि पुस्तक अपने उद्देश्य को पूरा करती है और पाठक वर्ग में यह हाथोंहाथ ली जाएगी। चर्चा में भाग लेने वाले अन्य कवि थे डॉ सुभाष शर्मा, शम्स तबरेज़ी, निर्मल अर्पण, रघुवीर सिंघ टेरकियाना व दीनू कश्यप। पढ़े गये पत्रों पर एक सार्थक और भावपूर्ण चर्चा के कवि सम्मेलन का शुभारम्भ हुआ, जिसमे सबसे पहले मशहूर शायरा डॉ विभा नाज़ली को आमंत्रित किया गया उन्होंने दो खूबसूरत गजलों से शुरुआत में ही मुशायरे को एक नई परवाज़ दे दी।

औरत थी, कत्ल हो गयी खामुशी के साथ।
अपनी अना को खो गयी खामुशी के साथ।

उनकी दूसरी गजल के एक शेअर की बानगी देखिये।

चलो इस दिल को फिर बच्चा बना कर देखते हैं।
खिलौनों से ही अपना दिल लगाकर देखते है।

इसके बाद पठानकोट से पधारे उर्दू शायर पूरण एहसान ने माँ पर एक बहुत ही भावपूर्ण नज्म कही।

माँ तेरी रहमत कैसे बिसराऊँगा
मैं फल हूँ कब पेड़ का कर्ज़ चुकाऊंगा

स्थानीय हिंदी कवि राणा शमशेर सिंह ने पत्थरबाजी पर कविता पढ़ी।

अक्ल पे जब पड़ा पत्थर
तो हाथों में पकड़ा पत्थर
गोली से जब लड़ा पत्थर
पत्थर पर चला पत्थर

चंडीगढ़ से तशरीफ़ लाए हिंदी कवि चमन लाल चमन ने अपनी हिंदी गज़ल में दिल को छू लेने वाले कुश अशआर कहकर श्रोताओं कि खूब वाहवाही लूटी।

तेरी रग रग को मैं पहचानता हूँ।
तुझे मैं तुझसे ज्यादा जानता हूँ
मैं तेरा हूँ ये होगा वहम तुझको
नही है तू मेरा, मैं जानता हूँ

काँगड़ा से आई महिला गजलकार मोनिका शर्मा ने एक मधुर पहाड़ी गीत के बाद जो गजल सुनाई उसके कुछ शेअर यूँ हैं

दिल को तुम बेकरार मत करना
जां किसी पर निसार मत करना।

प्रख्यात हिंदी कवी डॉ धर्मपाल साहिल ने पत्थर पर एक अत्यंत भावसिद्ध व बहुअर्थी कविता सुनाई जिसे श्रोताओं ने बहुत पसंद किया।

हम पत्थर हैं, पुजोगे तो भगवान बन जाएंगे
फेंकोगे तो शैतान बन जाएंगे,
तराशेगे तो बुत बन जाएंगे।
बुत तोड़ोगे तो दंगे करवाएंगे।

डॉ सुभाष शर्मा ने माँ पर एक पहाड़ी गीत सुनाकर सबको भावविभोर कर दिया।

वीरेंदर शर्मा ने अपनी एक लोकप्रिय कविता *'समझो शहर आ गया'* बड़े भावपूर्ण लहजे में पढ़ी।

जालंधर से पधारी दैनिक जागरण की पूर्व सम्पादक श्रीमति गीता डोगरा ने कहा।

' पत्थर पूजते थे ,पत्थर ही पूजो,
अपने वतन में इंसान पूजने का रिवाज़ नही।'

इसके बाद रघुवीर सिंह टेरकियाना ने जनाब जाहिद अबरोल को मुखातिब करते हुए उनकी तारीफ़ में एक लम्बी पंजाबी नज़्म पढ़ी।

तू यार है पक्का मेरा
क्यूँ दूर लगा ल्या डेरा

दीनू कश्यप हिदी के सुपरिचित कवि हैं और कविता में अपनी बात रखने का एक अलग अंदाज़ है इनके पास।

क्या फर्क पड़ता है
कि तुम खड़े हो
नूरपुर या काँगड़ा किले के भीतर
या खड़े हो दो पहाड़ों के बीच
कहीं भी नही हैं आप
इस हवा कि पकड़ से बाहर
हवा जो बज रही है शैतानों की सीटियों की तरह
यह सूचना है एक कापालिक अनुष्ठान की।

इसके बाद जाने माने शायर कशिश होशियारपुरी ने अपने चिर परिचित अंदाज़ में जोश और आक्रोश से भरी अपनी गजलों से श्रोताओं को बरबस अपनी अदायगी के जादू में बाँध लिया।

कहां शीशा खंजर कहीं ओज़ार बनते हैं,
हमारी बज्म में आओ यहाँ किरदार बनते हैं।

इसके बाद मंच संचालन कर रहे हिदी के सुप्रसिद्ध कवि कुलदीप शर्मा को अपनी कविता पढने का न्यौता जनाब जाहिद अबरोल ने दिया। उन्होंने अपनी एक चर्चित कविता से श्रोताओं को सोच के नये आयाम देते हुए कहा।

'यहाँ से शुरू होता है
उस सनातन पीड़ा का पहला अध्याय
जहाँ बच्चे ओक्सिजन के अभाव में मर जाते हैं।
और सरकारी अमला
निकल पड़ता है
सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण की तलाश में
यहाँ से निकलती है भाषा में
दमन की एक नदी.....'

हरियाणा उर्दू अकेडमी पंचकुला से आए हुए प्रसिद्ध शायर शम्स तबरेज़ी ने अपने खास अंदाज़ में गजल पढ़ी।

मैं सोचता हूँ कभी ऐसा हो न जाए कहीं
ख्वाब आँख में हों आँख सो न जाए कहीं
और एक और शेअर
किसी की चाह में दिल को जलाना ठीक है क्या।
खुद अपने आप को यूँ आजमाना ठीक है क्या।

अपनी गजलों और नज्मों में एक अनूठा शायराना अंदाज़ रखने वाले समारोह के केन्द्रीय पात्र अज़ीम शायर जनाब जाहिद अबरोल को बोलने के लिए जब डायस पर मंच संचालक ने बुलाया तो श्रोताओं ने तालियों की ध्वनि से उनका भरपूर स्वागत किया। पहले अपनी सद्य प्रकाशित पुस्तक से एक नज़्म और बाद में एक गजल सुनकर लोगों को भावविभोर कर दिया।

रोज़-ब-रोज़, यह चार 'बन्द'

कि एक नज़्म है जिसमे दिन के चार पहरों सुबह दोपहर शाम और रात का हृदयस्पर्शी ज़िक्र है। बेरोज़गारी को विषय बनाकर लिखी गयी यह नज़्म एक सार्वकालिक और सौर्भौमिक अपील रखती है और पाठक/ श्रोता को यह अपनी गिरफ्त में ले लेती है। नज्म कि आखरी दो पंक्तियाँ जिस रचनात्मक इंद्रजाल में पाठक को बांधती हैं उसकी एक बानगी देखिये।

रोज़ कि तरह हमे आज भी रोना होगा
नींद आए के न आए, हमें सोना होगा।

जाहिद अबरोल ने जो गजल सुनाई उसके दो शेअर मुशायरा लुटने वाले थे।

तेरी अज़ान में जो मेरी आरती मिले
हिन्दोस्ता को एक नई जिंदगी मिले
उग पाएंगे न मुल्क में नफरत के ये शजर
तालीम कमसिनों को जो घर में सही मिले।

समारोह के अध्यक्ष स. निर्मल अर्पण जो एक नामचीन पंजाबी कवि हैं। अपने बेलौस अंदाज़ में जब अपनी कविता पढ़ते हैं तो श्रोता सहज ही उनसे मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं। उन्होंने अपने मास्टरपीस कच देवयानी और शकुन्तला में से भी अपनी नज्मों के चुनिन्दा हिस्से सुनाए।

खबरे मैं विषपान दी व्यथा
लहू नाल लिख सकदा।
धरती दी हिक्क जेडा कागज़
जे मैनू मिल सकदा।

कवि सम्मेलन के अंतिम उत्कर्ष पर विशिस्ट्यात उर्दू शायर प्रेम कुमार नजर जो शिरोमणि उर्दू साहित्यकार सम्मान से पंजाब सरकार द्वारा नवाजे गये है उन्हें सुनने की उत्कंठा जब चरम पर थी तो उन्हें कविता पाठ के लिए मंच पर बुलाया गया। जदीद उर्दू शायरी के उन्नायकों में से एक जनाब प्रेम कुमार नजर का नाम उर्दू शायरी के हलकों में बड़े एहतराम से लिया जाता है।

इनकी एक नज्म कि बानगी देखिये ।

तेरी याद में मस्त अलस्त रहे
तेरे ज़िक्र में दुनिया भूल गये।
तेरे वस्ल के चर्चे शाम ढले।
तेरे हिज्र कि चिंता भोर भये।
तेरे हाल में जब बेहाल हुए,
हम शेहर में मरदे कमाल हुए।

कार्यक्रम के अंत में विशिष्टातिथि श्री एस के पराशर ने अपने उद्बोधन में कहा कि उन्हें इस तरह के साहित्यिक अनुष्ठानों में आकर एक संतोष कि अनुभूति होती है कि समाज को दिशा देने वाले ताकतें सक्रीय है। इससे यह भी उम्मीद जगती है कि आने वाला समय उजालो से भरा होगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय कवियों ने भी अपनी रचनाओं से इस महफ़िल कि शोभा बढाई उनमे प्रमुख हैं पंकज शर्मा संदीप खडवाल, कृष्ण लद्दारखी प्रकाश चंद मेहरम, बलविंदर घनारी, इस कार्यक्रम की खूबी यह भी रही कि इसमें ऊना ही नहीं बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी श्रोता यहाँ पधारे थे। इससे कविता और शायरी के प्रति उम्मीद जगती है। साहित्य का पथ आलोकित होता है।

क्या एनजीटी के आदेश की अनुपालना हो पायेगी

एनजीटी ने प्रदेश भर में नये निर्माणों पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश दिये हैं कि दो कमेटियां गठित की जायें और निर्माणों के लिये आया हर आवेदन इन कमेटियों को सौंपा जाये। यह कमेटीयां यदि प्रस्तावित निर्माण को पर्यावरणीय मानकों पर सही पायेंगी तभी इसकी अनुमति मिलेगी। अनुमति मिलने पर भी कोई भी निर्माण अढ़ाई मंजिल से अधिक नही होगा। एनजीटी के इस फैसले पर प्रदेश भर में कई तरह की प्रतिक्रियांए हुई हैं। इन्ही प्रतिक्रियांओं के बाद सरकार इस फैसले के रिव्यू में गयी थी जो अस्वीकार हो गया है। कुल्लु – मनाली में जब अवैध निर्माणों के दोषी मुख्यमंत्री को मिले थे तब उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि इन निर्माणों को कानून के दायरे में लाकर राहत दी जायेगी। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या अदालत का फैसला आने के बाद पहले से चिन्हित हो चुके अवैध निर्माणों को इस तरह से राहत दी जा सकती है । पाठक इस पर अपनी राय क्या बनाते है इसके लिये यह आदेश – निर्देश जनता के सामने सखे जा रहे हैं।

एनजीटी का आदेश एंव निर्देश

Thus, we pass the following directions and order:

I. We hold and declare that the facts and circumstances of the present case, as afore-recorded, clearly demonstrate failure on the part of the State Government, its instrumentalities and local authorities to discharge their constitutional obligations under Article 48A, statutory duties under the Environment (Protection) Act, 1986, under the TCP Act and Municipal byelaws. It is this failure that has exposed the Shimla Planning Area to such vulnerability to natural and man-made disasters. In the event, if such unplanned and indiscriminate development is permitted there will be irreparable loss and damage to the environment, ecology and natural resources on the one hand and inevitable disaster on the other.

II. We hereby prohibit new construction of any kind, i.e. residential, institutional and commercial to be permitted henceforth in any part of the Core and Green/Forest area as defined under the various Notifications issued under the Interim Development Plan as well, by the State Government.

III. Beyond the Core, Green/ Forest area and the areas falling under the authorities of the Shimla Planning Area, the construction may be permitted strictly in accordance with the provisions of the TCP Act, Development Plan and the Municipal laws in force. Even in these areas, construction will not be permitted beyond two storeys plus attic floor. However, restricted to these areas, if any construction, particularly public utilities (the buildings like hospitals, schools and offices of essential services but would definitely not include commercial, private builders and any such allied buildings) are proposed to be constructed beyond two storeys plus attic floor then the plans for approval or obtaining NOC shall be submitted to the concerned authorities having jurisdiction over the area in question. It would be sanctioned only after the same have been approved and adequate precautionary and preventive measures have been provided by the special committee constituted under this judgement along with the Supervisory Committee.

IV. Wherever the old residential structures exist in the Core area or the Green / Forest area which are found to be unfit for human habitation and are in a seriously dilapidated condition, the Implementation Committee constituted under this judgement may permit construction/reconstruction of the building but strictly within the legally permissible structural limits of the old building and for the same/ permissible legal use. The Competent Authority shall sanction the plans and/or approve the same only to that extent and no more under any circumstances such plans must not be beyond two storeys and an attic floor and only for residential purpose.

V. There shall be no regularization of unauthorised constructions within the Core area and Green/Forest areas which have been raised without obtaining any prior permission/sanction of plans in entirety. It shall also include constructions in complete violation of the sanctioned plan or where additional floors have been constructed in contradiction to the concept of deviation or variation, to constructed areas for which the plans were sanctioned. In such cases, the authorities shall take action in accordance with law and direct demolition of such property.

VI. The State of HP, its departments and authorities are hereby restrained from permitting cutting of hills/forests without prior submission of application for sanctioning of plans for construction. If any person is found to be damaging Forest/Green area and/or cutting of hills, without grant of permission of the concerned authorities and without construction plan being sanctioned, he/she would be liable to pay environmental compensation as may be determined by the concerned department but not less than Rs. 5 Lakhs for each violation. The compensation, if not paid, shall be recovered as land revenue by the State and will be utilized by the State for restorative purposes and/or for afforestation of the Shimla Planning Area.

VII. Wherever unauthorised structures, for which no plans were submitted for approval or NOC for development and such areas falls beyond the Core and Green/Forest area the same shall not be regularised or compounded. However, where plans have been submitted and the construction work with deviation has been completed prior to this judgement and the authorities consider it appropriate to regularise such structure beyond the sanctioned plan, in that event the same shall not be compounded or regularised without payment of environmental compensation at the rate of Rs. 5,000/- per sq. ft. in case of exclusive selfoccupied residential construction and Rs. 10,000/- per sq. ft. in commercial or residential-cum-commercial buildings. The amount so received should be utilised for sustainable development and for providing of facilities in the city of Shimla, as directed under this judgement.

VIII. We direct the State Government and/or its instrumentalities and more, particularly, the Town and Country Planning Department to finalize the Development Plan within three months from the date of pronouncement of this judgement without default. The Development Plan so finalized shall be notified in accordance with law. While finalizing the development plan, the directions and precautions stated in this judgement shall be duly considered by the concerned departments and the State of Himachal Pradesh.

IX. The Registrar or any other authority vested with the responsibility of registering documents of transfer or division of land shall not do so except with the prior NOC from the Town and Country Planning Department, in accordance with the provisions of the law afore-referred. The Department of Science and Technology, Town and Country Planning, Municipal Corporation, Urban Development, Forest, Revenue and Registrar for documents shall depute their senior officers within a period of three weeks from today, who shall prepare Memorandum of Practice which shall be followed by all the departments in regard to cutting of hills, any activity in the forest areas, division and transfer of land, development activity providing of infrastructure and other facilities in the Shimla Planning Area. This memorandum shall provide due coordination and cooperation between the various wings of the State to ensure sustainable development of the entire Shimla Planning Area. This Memorandum will be approved by the Supervisory Committee appointed under this judgement.

X. The State of Himachal Pradesh, its instrumentalities, departments and local authorities shall prepare an Action Plan for providing appropriate infrastructure, water and sewerage facilities, roads, greenery, other public amenities and retrofitting of existing structures (especially public utilities) particularly with the earthquake resistance structures in the areas which have been indiscriminately developed and lacks such facilities like Sanjauli and other congested areas of Shimla including Lower Bazar etc. The Action Plan shall be prepared within a period of three months from the date

शेष पृष्ठ 6 पर.....

क्या एनजीटी के आदेश की

.....पृष्ठ 5 का शेष

of pronouncement of this judgement providing retrofitting to public or private buildings against earthquake effect and be implemented in accordance with the State Policy.

XI. No construction of any kind, i.e. residential, commercial, institutional or otherwise would be permitted within three meters from the end of the road/national highways in the entire State of HP, particularly, in Shimla Planning Area. We direct that all the concerned authorities shall duly enforce the valley view regulation and direct the same.

XII. Within the existing Zoning policy, additional layers of slope, geology, soil type and load bearing capacity of soil should be superimposed on different zones to regulate any construction or development works. The height of constructions should be regulated by such safe bearing load capacity of the underlying rock formations rather than uniformly following 18 mtr. of height requirement. The Interim Development Plan permits 18 mtr. of height requirement, which again has no rational and is not backed by any study. Thus the same will not be implemented till compliance with the other directions.

XIII. Presently slope of 45° for construction is uniformly applicable in all zones and areas irrespective of soil and geology. This can create vulnerability during seismic events and soil saturation /soil liquefaction. Slope in soft rocky areas with over burden soil should be reduced to 35° while retaining 45° for areas with hard sub surface stratum. The concerned department shall ensure that no construction activity takes place where the slope is more than 45⁰/35° in any case, which should be prior to cutting of the hills.

XIV. Rain water harvesting should be a mandatory requirement for all the building plans. Even the old buildings where such RWH structures are not present must be provided with RWH systems within three months. This direction must be complied with particularly in relation to public buildings, schools, colleges, universities, hotels, hostels, etc.

XV. All the storm water available as surface run off in all the concretised areas like roads, lanes, platforms and market places should be diverted in such a manner to ensure that such run off does not go in to over burden or flow along hills and depressions, thereby creating over saturation and affecting soil and slope stability. Options be evaluated for storage and use of such water after proper treatment disinfection.

XVI. There should be no institutional construction in the Core area and the institutions located in the Core area which requires a further demand for space or facilities should be shifted to other district or to the areas falling under the jurisdiction of SADA.

XVII. We appoint the following Committee to be termed as 'High Powered Expert Committee', which shall be responsible for carrying out the specific directions under this judgement and provide NOC or other necessary permissions to the stakeholders, whether State or private parties. This Committee shall also ensure that there is no further degradation of environment, ecology and natural resources of the Shimla Planning Area. If anything comes to the notice of this Committee, they would be at liberty to move to the Tribunal for appropriate directions. The High Powered Expert Committee shall consist of two components. First would be the Supervisory Committee while the later would be Implementation Committee. The Members of these committees shall be as follows:

I. SUPERVISORY COMMITTEE:

i) Secretary, Urban Development, State of Himachal Pradesh.

ii) Director, Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun.

iii) Director, Town and Country Planning, Govt. of H.P. shall be the Member Secretary of the Committee

iv) Professor from relevant field nominated by the Director, Punjab Engineering College, Chandigarh.

v) Nominated officer from NDMA not below the rank or equivalent to the Joint Secretary or above.

vi) Member Secretary, H.P. Pollution Control Board.

II. IMPLEMENTATION COMMITTEE:

Chairman: Director, Deptt. Town and Country Planning, Govt. of H.P.

MEMBERS:

i) State Town Planner, Govt. of H.P.

ii) Director, Department of Urban Development, Govt. of H.P.

iii) Municipal Commissioner Shimla.

iv) Nominated officer from Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun not below the rank or equivalent to Director in Govt. of India.

v) Nominated officer from NDMA not below the rank or equivalent to Director in Govt. Of India.

vi) State Geologist, Department of Industries, Govt. of H.P.

vii) Director, Department of Environment, Science & Technology, H.P.

viii) Architect in-Chief, H.P. PWD.

ix) Member Secretary, H.P. Pollution Control Board.

The Supervisory Committee shall meet atleast once in three months, while the Implementation Committee shall meet every month in the first week to perform the functions and duties assigned to them under this judgement, without default.

XVIII. This High Powered Expert Committee shall carry out a survey of lifeline structures and identify those structures that are vulnerable to damage due to seismic events and other natural hazards. Also it will identify and delineate passages for providing emergency services, for medical assistance and relief works, so that enough openings are created for ingress and egress of fire tenders and emergency medical vehicles ambulances.

XIX. This Committee shall also advise the State of HP for regulating traffic on all roads, declaring prohibited zones for vehicular traffic, preventing and controlling pollution and for management of Municipal Solid Waste in the Shimla Planning Area. The recommendation of this Committee should be carried out by the State Government and all its departments as well as local authorities, without default and delay.

XX. The Committee shall also deal with the recommendations in relation to zoning policy and would keep in mind the factor of vulnerability risk assessment. The Committee may also make recommendations for permitting construction of buildings of exceptional nature like hospital, fire-brigade or public utility services but strictly in consonance with the laws in force.

XXI. There should be a complete ban on felling of trees in Catchment Forest and Sub-Catchment of water streams and water sources. In such areas, even change of land use to horticulture and agriculture should not be permitted as that can add pesticides and inorganic chemicals to soil which will eventually drain in to water sources.

XXII. The State Government shall ensure that the Municipal Solid Waste generated in the Shimla Planning Area is managed strictly in consonance with the Solid Waste Management Rules, 2016. The Waste to Energy Plant located at Bhariyal should positively be made operational as directed by the Tribunal in the other connected matters by 15th November, 2017.

XXIII. The ban on use of plastic bags and plastic packaging in the Shimla Planning Area is again reaffirmed and reiterated. The State of HP, it's Departments, Himachal State Pollution Control Board and the Municipal Corporation of Shimla shall ensure that no plastic bags or plastic packing or goods are used, stored, sold and/or given with any product, by the shopkeepers in the Shimla Planning Area.

XXIV. The State Government, concerned departments and the local authorities are hereby directed to prepare a complete action plan for collection and disposal of sewage in the Shimla Planning Area expeditiously. The plan should deal with laying of pipeline, putting up of STP and reutilisation of the treated sewage and/or its discharge at the appropriate places wherever there is a discharge in the water body. It shall be ensured that the release of the treated sewage should not be at a point prior to any drain or pipe discharging untreated sewage into the river/water bodies directly, which must be stopped. The Action Plan should be placed before the Tribunal within a period of three months from today.

XXV. It is directed that wherever the concerned authorities extract water from the river or water bodies it should do so according to law and positively prior to a point where discharge from any drain, nalla, etc. meets the river/water body. Though, every effort should be made that no untreated sewage or other polluted water enters the river at all.

XXVI. Wherever there are trees in the compound or land of an owner or a house adjacent to a forest or green area, it shall be the responsibility of such owner/owners to ensure that the trees are properly protected and maintained and no damage is caused or permitted to be caused to their growth.

XXVII. All the directions issued by the Tribunal in relation to collection and disposal of sewage, passed in the case of Abhimanyu Rathor v. State and Ors. (supra) should be strictly complied with.

XXVIII. The concerned departments and the local authorities of the State Government should also prepare a complete and effective Action Plan with regard to disaster management. The DisasterManagement Plan should deal with both precautionary and preventive measures that should be taken up presently to ensure that in the event of any untoward incident or natural calamity there is least damage to the natural resources, person and property of the public at large. The action plan should also deal with the preparedness of the concerned wings of the State for the purpose of relief and rehabilitation as a result of disaster.

XXIX. Original Application No. 505 (THc) of 2015 also stands disposed of in terms of this judgement. The Applicant has already submitted the plans for reconstruction of the house on the existing lines on the ground that the same is in dilapidated conditions and is unfit for human habitation. In this judgement, the Tribunal has placed restrictions in consonance with the Notifications issued by the State on the nature and the extent of construction that can be raised in such areas. All these matters are required to be considered by the Supervisory Committee. Therefore, we direct the concerned authorities to consider the application of the applicant afresh, in light of the directions contained in this judgement and pass orders expeditiously in any case not later than four weeks from today. The orders dated 1st August, 2005 and 13th October, 2010 already passed by the authorities would not be given effect to and they will be subject to fresh orders that may be passed by the competent authority.

राज्य के 14 निजी नर्सिंग संस्थानों को मिले एनओसी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य में 224 करोड़ रुपये की 'सौर सिचांई योजना' को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को निजी तौर पर 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और मध्यम एवं बड़े किसानों को 80 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों/किसान विकास संघ/कृषक विकास संघ/किसानों की पंजीकृत संस्था इत्यादि को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत 5850 कृषि सौर पम्पिग सैट किसानों को उपलब्ध करवाएं जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री के बजट आश्वासन के अनुरूप 174.50 करोड़ रुपये की बहाव सिंचाई योजना शुरू करने को मंजूरी प्रदान की। कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली इस योजना के अन्तर्गत 7152.30 हैक्टेयर क्षेत्र को सुनिश्चित सिचाई के अन्तर्गत लाकर राज्य के 9580 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने किसानों को खेती के मशीनीकरण के लिए राज्य में 20 करोड़ रुपये का 'राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया। इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों, महिला, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित पात्र लाभार्थियों को छोटे ट्रैक्टर, पॉवर टिल्लर्ज, विडर्ज तथा अन्य आवश्यकता आधारित/अनुमोदित मशीनरी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा।

बैठक में विद्यार्थियों को वनों के महत्व तथा पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित तथा जागरूक करने के लिए 'विद्यार्थी वन मित्र योजना' शुरू करने का निर्णय लिया गया। योजना का उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण की दिशा में लगाव की भावना उत्पन्न करना है। योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता के साथ पौधरोपण करके वन आवरण में वृद्धि करना भी है।

मंत्रिमण्डल ने विभिन्न विभागों/निगमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह सुरक्षा तथा नागरिक सुरक्षा विभाग में मानदेय आधार पर गृह रक्षा वॉलन्टियर चालकों के 103 रिक्त पद भरने को अपनी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से उप निरीक्षकों (कार्यकारी पुलिस) के 41 पद भरने को सहमति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिले के सलूणी में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई अग्निशमन पोस्ट खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कुल्लू जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पतलीकूहल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा इस केन्द्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने नर्सिंग पाठयक्रमों का संचालन करने के लिए राज्य के 14 निजी नर्सिंग संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर जूनियर केमरामैन के 11 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने और सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी के पांच रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया।

बैठक में सफाई/स्वच्छता तथा लोक सेवाओं के मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के चयन के लिए श्रेष्ठ शहर योजना के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना का उद्देश्य सफाई/स्वच्छता, आय में वृद्धि, लोक सेवाएं प्रदान करना, निर्माण विनियमन, निधि की उपयोगिता, सार्वजनिक अधोसंरचना तथा कार्यालय कार्यों के मानदण्डों के आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कृत करना तथा प्रोत्साहन प्रदान करना है।

मंत्रिमण्डल की बैठक में शिमला/धर्मशाला स्मार्ट सिटी पर शहरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुति भी दी गई।

मंत्रिमण्डल ने 2.50 मेगावाट की बुरूआ जल विद्युत परियोजना को मै. जुनिपर इनफाकॉन (पी) लिमिटेड मनाली जिला कुल्लू को तथा 0.80 मेगावाट की ग्रामन परियोजना को मै. सुभाष चन्द लोअर समखेतर जिला मण्डी को आवंटित करने का निर्णय लिया।

बैठक में राज्य में निर्मित की जा रही थर्माकोल कटलरी की राज्य के बाहर बिक्री करने की स्वीकृति प्रदान की गई, क्योंकि राज्य में थर्माकोल कटलरी पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिले के बन्दला में कॉलेज की स्थापना के लिए 62.06 बीघा सरकारी भूमि को हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज समिति बन्दला के नाम एक रुपये प्रति बीघा की दर से 99 सालों के लिए पट्टे पर हस्तांतरण करने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने इसका पुनः नामकरण करते हुए राजकीय हाईड्रो इंजीनिरिंग कॉलेज बन्दला, बिलासपुर नाम रखने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल की एक बटालियन स्वीकृत करने के लिये केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया।

मंत्रिमण्डल ने कृषि विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ अभियंताओं के 17 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर सहायक अभियंता (सिविल) के 11 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।

घटिया दवा निर्माताओं पर होगी सख्त कारवाही

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के दवा निर्माताओं और कॉस्मेटिक उद्योग के साथ परिसंवाद के दौरान कहा कि नियामकों को दवाईयों की गुणवत्ता एवं क्षमता की दृष्टि से समाशोधन करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और अच्छी तरह से सुसज्जित परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कर गुणवत्ता मानकों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए

विनियामक ढांचा मजबूत होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के रूप में दुरूपयोग की जा रही दवाओं के खतरे पर अंकुश के लिए प्रशासनिक, विधायिका तथा नियामक स्तर पर कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मानव जीवन का मूल्य किसी और चीज से अधिक महत्वपूर्ण है और इस प्रकार गुणवत्ता और क्षमता से समझौता करने वालों को भागने की कोई गुंजाइश नही होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फार्मा तथा कॉस्मेटिक सेक्टर न केवल राज्य के युवाओं को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने बल्कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए बद्दी-बरोटीवाला -नालागढ़ में सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जलापूर्ति इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार फार्मा उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में उठाए गए मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन के मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों को यथासम्भव सहयोग प्रदान करेगी ताकि वे राज्य में अपनी इकाईयां स्थापित कर सकें। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को देश के विभिन्न भागों में सुचारू रूप से अपने उत्पादों के परिवहन के लिए सर्वोत्तम परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फार्मा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की और अधिक संवाद बैठकें की जाएगी ताकि बेहतर समझ और तालमेल विकसित किया जा सके।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री को विभिन्न औद्योगिक घरानों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1.44 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों का इस पुनीत कार्य के लिए अंशदान करने पर आभार व्यक्त किया और कहा कि यह राशि गरीब व जरूरतमंद लोगों को दुःख व बीमारी के समय सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि वर्ष 2003 में राज्य के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की घोषणा के कारण प्रदेश में औषधीय उद्योग लगातार उन्नति की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि उपयोग में लाई जाने वाली हर तीसरी औषधी प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला -नालागढ़ क्षेत्र में तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि दवाइयों का निर्माण वहन करने योग्य और गरीबों की पहुंच में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के फार्मा उद्योगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घटिया दवाइयों के उत्पादन में संलिप्त दवा निर्माताओं के विरूद्ध सख्त कारवाही अमल में लाएगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य बी.के. अग्रवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का सबसे बड़ा फार्मा हब के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के औषधीय उद्योगों द्वारा सालाना 40 हजार करोड़ रुपये की दवाइयों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से 10 हजार करोड़ रुपये की दवाइयों का निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औषधीय व्यसनों पर प्रभावी नज़र रखने के लिए विशेष बल दिया जा रहा है और दवाईयों का नशे के रूप में दुरूपयोग पर नज़र रखने के लिए 186 निरीक्षण किए गए। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला के बद्दी में शीघ्र ही जांच प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।

आनंदपुर साहिब नैना देवी रोपवे की फिर बनी संभावना

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप श्री आनंदपुर साहिब और श्री नैना देवी जी के बीच रोपवे परियोजना की स्थापना के लिए हिमाचल और पंजाब कि बीच समझौता ज्ञापन को बहाल करने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। मख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 26 फरवरी, 2018 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ इस मुद्दे को उठाया था और इसके बाद राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क में थे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने में न केवल मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि श्रद्धालुओं को भी इन धार्मिक स्थलों का दौरा करने में सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह दोनों राज्यों के बीच प्रेम और भाईचारे के बन्धन को मजबूत करने का एक प्रतीक भी होगा।

उन्होंने कहा कि परियोजना राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इसी माह के दौरान समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करने के प्रयास किए जाएंगे, जिसे परियोजना की गति में तेजी आएगी। इस परियोजना के पूरा होने पर न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोज़गार व स्वरोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत आएगी तथा यह रोपवे 3.5 किलामीटर का होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (संस्कृति एवं पर्यटन) राम सुभग सिंह ने पंजाब सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की और दोनों राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन को जल्द बहाल करने के तरीकों पर चर्चा की।।

स्वयं सत्यापित शपथ पत्र मान्य होगा बीपीएल चयन में:वीरेन्द्र कंवर

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि विभाग ने हाल ही में बी.पी. एल. लाभार्थियों के सम्बन्ध में केबिनेट अनुमोदन के बाद एक अधिसूचना जारी की है। इसके अन्तर्गत आवेदक से मांगे जाने वाले शपथ पत्र की प्रक्रिया के सरलीकरण का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि बी.पी.एल. चयन में आवेदक द्वारा शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य नही होगा, बल्कि आवेदक निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके (स्वयं सत्यापित प्रपत्र) जमा करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया खण्ड कार्यालय में ही सुविधाजनक पूरी कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त बी. पी.एल. चयन के सम्बन्ध में विभाग जिला एवं खण्ड विकास अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए है कि इस अधिसूचना को अमलीजामा पहनाने में यदि किसी प्रकार की आपत्तियां/कठिनाईयां सामने आती हैं तो उस पर खण्ड कार्यालयों से फीड बैक लेने के पश्चात विभाग एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और अधिसूचना का भी सही तरीके से कार्यान्वयन किया जा सके।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

घातक होंगे सर्वोच्च न्यायालय से मिली प्रताड़ना के परिणाम

शिमला/शैल। कसौली नारायणी गैस्ट हॉऊस के अवैध निर्माण को गिराये जाने के सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों की अनुपालना करवाते हुए जब टीसीपी की अधिकारी शैल बाला शर्मा की गैस्ट हॉऊस के मालिक विजय सिंह ने दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी तब शीर्ष अदालत ने इसका स्वत: संज्ञान लेते हुए इस कृत्य को अदालत कि अवमानना करार देते हुये आदेश दिये थे कि प्रदेश सरकार इन चार बिन्दुओं पर दो माह में अदालत में रिपोर्ट सौपें। ये बिन्दु थे। We have gone through the status report and we would require the State of Himachal Pradesh to file another status report indicating the response to the following issues:

1. The names and designation of the officers who were posted at the time when unauthorized construction was being carried out and whether any steps have been taken to hold these officers responsible and accountable for the unauthorized construction.

2. Guidelines, if any, that have been framed by the State of Himachal Pradesh to ensure that unauthorized constructions do not take place at the scale as happened in Kasauli. If guidelines have not been framed, they should be framed expeditiously.

3. Specific steps that are being taken by the State of Himachal Pradesh so that there is no unauthorized construction in other parts of the State and how the problem is proposed to be tackled by the State.

4. What does the State of Himachal Pradesh propose to do with the debris which will remain after the demolition of the unauthorized constructions. The presence of debris can create an environmental hazard.

The status report be filed within a period of two months.

List the matter on 8th August, 2018.

इस आदेश के बाद यह मामला 8 अगस्त को अदालत में लगा था। लेकिन इस दिन शीर्ष अदालत में उक्त बिन्दुओं पर रिपोर्ट सौंपने की बजाये प्रदेश सरकार के वकील अभिनव मुखर्जी ने अदालत में उस याचिका की प्रति रख दी जो 2002 में जस्टिस दीपक गुप्ता की पत्नी पूनम गुप्ता ने हिमाचल हाईकोर्ट में दायर की थी। इस याचिका की प्रति रखने के साथ अदालत से यह आग्रह कर दिया कि जस्टिस गुप्ता इस मामले की सुनवाई से हट जायें। इस आग्रह पर जब जस्टिस दीपक गप्ता ने यह प्रति देखी तो उन्होने यह कहा कि यह अगल मामला है और जिस मामले की सुनावई इस पीठ में चल रही है वह अलग है। इस पर जस्टिस मदन बी लोकूर ने प्रदेश सरकार के वकील से पूछा कि क्या उन्होने यह याचिका पढी है। इस पर जब वकील ने यह कहा कि उन्होने नही पढ़ी है तब वकील को शीर्ष अदालत की कड़ी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा।

अदालत ने यहां तक कह दिया कि "Does the state have nothing else to do? What about governing the state? Tell your state that this will not be tolerated. Don't be a mouthpiece of somebody who has some vested interest. You are an advocate and officer of the court and not a 'chamcha' of the state. Do not do it ever again," Justice Lokur said.

सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रताड़ना की स्थिति तब आयी जब सरकारी वकील मुखर्जी ने 2002 की याचिका पीठ के सामने रखी। 2002 में यह याचिका तब आयी थी जब तत्कालीन भाजपा सरकार ने वनभूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को नियमित करने के लिये पॉलिसी बनाई थी। तब इस पॉलिसी को प्रदेश उच्च न्यायालय में CWP 1028 of 2002 और CMP 1645 of 2002 के माध्यम से चुनौती दी गयी थी। यह याचिकाएं पूनम गुप्ता ओर हृदेश आर्य द्वारा दायर की गयी थी। उस समय याचिकाकर्ताओं के वकील राजीव शर्मा थे और सरकार की ओर से संजय करोल महाधिवक्ता थे और उनके साथ एमआर विष्ट सहायक थे। फिर इस मामले में त्रिलोक चौहान भी याचिकाकर्ताओं के वकील रहे हैं। इस मामले की सुनावई जस्टिस कमलेश शर्मा और जस्टिस के.सी.सूद की पीठ में हुई थी। पीठ ने इसमें यह आदेश पारित किया था।

Reply to the application may be filed with in a period of four weeks.

In the facts and circumstances on record it is ordered that the proceedings for regularisation of the encroachments on Government lands may go on, but Pattas will not be issued under the impugned rules till further orders.

यह याचिकाएं अवैध कब्जों को नियमित करने के लिये लायी गयी पॉलिसी के खिलाफ थी। इन याचिकाओं की पैरवी के साथ जुड़े रहे वकील संयोगवश हिमाचल उच्च न्यायालय के सम्मानित जज हैं। और अवैध कब्जों को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में पिछले तीन वर्षो से मामले चल रहे हैं। इन सभी न्यायधीशों ने इसमें समय-समय पर आदेश पारित किये हैं। लेकिन उस समय तो प्रदेश सरकार की ओर से 2002 की इस लंबित चली आ रही याचिका का कवर लेकर यह नही कहा गया कि यह न्यायाधीश मामले की सुनवाई न करें। फिर आज सर्वोच्च न्यायालय में सरकार को यह स्टैण्ड क्यों लेना पड़ा। जबकि कसौली का मामला अवैध निर्माणों को लेकर है। अवैध निर्माण और अवैध कब्जे एकदम अलग-अलग मामलें हैं।

स्मरणीय है कि कसौली के अवैध निर्माणों के प्रकरण में एनजीटी ने राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों को नामत: चिन्हित करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को उन लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के निर्देश दे रखे हैं। एनजीटी के इन निर्देशों पर सर्वोच्च न्यायालय की मुहर भी लग चुकी है। इस संद्धर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम फैसला आ चुका है। जिस पर अमल करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नही है। अदालत ने तो यहां तक निर्देश दिये हैं कि अवैध निर्माणों के लिये जिम्मेदार रहे अधिकारी/कर्मचारी यदि सेवानिवृत भी हो गये हैं तो भी उन्हे चिन्हित करके उनके खिलाफ कारवाई की जाये। इसी बारे में शीर्ष अदालत ने रिपोर्ट तलब की थी जो कि नही सौंपी गयी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार प्रताड़ना की कीमत पर भी कुछ लोगो को बचाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह सब मुख्यमन्त्री की जानकारी और सहमति के साथ हो रहा है या फिर अधिकारी अपने ही स्तर पर खेल खेलकर मुख्यमन्त्री के लिये संकट खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि अभिनव मुखर्जी तो दिल्ली में ही प्रैक्टिस करते रहे हैं। शिमला में कब क्या घटा है उसकी जानकारी उनको अपने स्तर पर होना संभव नही हो सकता। ऐसे में यह स्वभाविक है कि उन्हें 2002 की याचिका की जानकारी शिमला से ही दी गयी है। इसलिये इसमें यह सवाल उठना भी स्वभाविक है कि शिमला बैठे हुए व्यक्ति को तो यह जानकारी थी ही कि सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा मामला हिमाचल उच्च न्यायालय में आयी 2002 की याचिका से बिल्कुल भिन्न है फिर 2002 की याचिका से आगे निकलकर अवैध कब्जों पर तो प्रदेश उच्च न्यायालय सेना तक को इसमें लगा चुका है। इसलिये यह माना जा रहा है कि 2002 की याचिका का संद्धर्भ सर्वोच्च न्यायालय में किसी निहित राजनीतिक मंशा से ही उठाया गया है। क्योंकि इस पर सर्वोच्च न्यायालय की नाराज़गी एक स्वभाविक परिणाम थी और वह सामने भी आ गयी।

आत्मघाती होंगे वीरभद्र के यह तल्ख तेवर

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस के अन्दर चल रहा सुक्खु बनाम वीरभद्र वाक्युद्ध जिस मोड़ पर पंहुच चुका है तथा बन्द होने का नाम नही ले रहा है। इससे अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस हाईकमान ने अब वीरभद्र को ज्यादा अहमियत देना छोड़ दिया है। क्योंकि वीरभद्र सिंह एक लम्बे अरसे से सुक्खु का खुला विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन इस विरोध का कोई असर नही हो पाया है। जबकि एक समय था जब प्रदेश कांग्रेस में वही होता था जो वीरभद्र चाहते थे। वीरभद्र ने आनन्द शर्मा, कौल सिंह और सुखराम जैसे नेताओं को जिस तरह पूर्व में अपने रास्ते से हटाया है यह पूरा प्रदेश जानता है। जिस तरह का खेल खेलकर वीरभद्र ने 1983 में मुख्यमन्त्री का पद संभाला था क्या वह कार्यशैली अब उनकी नीयती बन गयी है। क्योंकि इसी कार्यशैली से 1993 में वीरभद्र ने सुखराम को रास्ते से हटाया था। आज सुक्खु को हटाने के लिये भी ठीक उसी कार्यशैली पर चल रहे हैं। उस समय इस कार्यशैली के लाभार्थी वह स्वयं होते थे। लेकिन आज परिस्थितियां एक दम बदली हुई हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगला विधानसभा चुनाव 2022 में होगा और तब वह 90 वर्ष के हो रहे होंगे। ईश्वर उन्हें

लम्बी आयु दे। लेकिन क्या वह तब एक बार फिर मुख्यमन्त्री बनने की ईच्छा रखे हुए हैं। क्योंकि उनका बेटा तो 2022 में तभी नेतृत्व का दावेदार हो सकता है कि अभी से एक अलग संगठन खड़ा कर ले और उसे सत्ता तक ला पाये। वैसे प्रदेश में एक विकल्प की आवष्यकता और संभावना तो बराबर है। वीरभद्र यदि दिल से चाहें तो वह ऐसा सफलतापूर्वक कर भी सकते हैं। यदि उनकी मंशा ऐसा कुछ करने की नही है तो जो कुछ वह आज कर रहे हैं उससे कांग्रेस से ज्यादा अपने ही परिवार का राजनितिक अहित कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के अन्दर जो भूमिका वह निभा रहे हैं वही भूमिका संयोगवश भाजपा में शान्ता ने संभाल ली है।

वीरभद्र की भूमिका से जो लाभ भाजपा-जयराम को अपरोक्ष में मिलने की संभावना मानी जा रही है उससे कहीं अधिक नुकसान शान्ता के ब्यान से हो जायेगा। क्योंकि जो दावे आज भी मोदी रोज़गार के क्षेत्र में कर रहे हैं आने वाले दिनों में उन दावों की व्यवहारिकता पर हर प्रदेश में सीधे सवाल उठेंगे। मोदी ने आज भी यह दावा किया है कि उनकी सरकार ने प्रतिवर्ष एक करोड़ रोज़गार दिये हैं। एक करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के हिसाब से पांच वर्षो में हिमाचल के हिस्से में पांच लाख तो आने ही चाहिये थे। इसका जवाब वीरभद्र और जयराम को देना होगा। क्योंकि पहले वीरभद्र की सरकार थी और अब जयराम की है। हिमाचल में वीरभद्र के शासन में कितनों को सरकारी और नीजि क्षेत्र में रोज़गार मिला है इसका खुलासा बजट सत्र में विधानसभा के पटल पर रखे गये सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ो से हो जाता है। इन आंकड़ो के मुताबिक लाखों तो दूर हज़ारों को भी रोज़गार नही मिला है। अभी मण्डी जिले की ही एक पीएचडी टॉपर का मुख्य न्यायधीश को लिखा पत्र रोज़गार के दावों की कलई खोल देता है। क्योंकि इस लड़की ने बेरोज़गारी से तंग आकर ईच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। यह मण्डी जिले की हकीकत है। और आठ माह से प्रदेश में मण्डी के ही जयराम की सरकार है। ऐसी ही हकीकत अन्य क्षेत्रों में भी है। यही नही चुनावों तक आते-आते राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे उठने वाले हैं उनके मद्देनज़र आने वाले दिनों में वीरभद्र के ब्यानों और प्रयासों से भाजपा को कोई लाभ नही मिल पायेगा। क्योंकि यदि कांग्रेस प्रदेश में एक सीट भी जीतती है तो यह भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर एक चौथाई हार हो जायेगी और इससे शान्ता का कथन भी सही साबित हो जायेगा। इसलिये आज वीरभद्र के ब्यानों का यही अर्थ लगाया जायेगा कि वह शायद यह सब कुछ किसी बड़ी विवशता में कर रहे हैं।